खण्ड–''स''

(एक)–भर्ती की योजना :– सभी पदों की भर्ती हेतु परीक्षा दो चरणों में होगी :–

1. प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन)
2. मुख्य परीक्षा

(दो) प्रारंभिक परीक्षा (ऑनलाइन) (100 अंक)

प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ''ऑनलाइन'' आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण (Screening) परीक्षा होगी। प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांकों को अंतिम चयन में नही जोड़ा जाएगा।

(तीन) प्रवेश पत्र :– सभी पदों की ऑनलाईन परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र सेवा प्रदाता (Service Provider) के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर जारी किये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए अभ्यर्थी को अपना User ID एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रिंट आउट की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 10–15 दिन पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा। प्रवेश पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन अति–आवश्यक है, व्यतिक्रम में अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

(चार) परीक्षा केन्द्रः–

क. ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना एवं उज्जैन (सभी या आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक) में एक पाली (Shift) अथवा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक पालीयों (Shifts) में आयोजित हो सकेगी, परंतु विशेष परिस्थितियों में म0प्र0 राज्य के बाहर के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा सकेगी। परीक्षा एक से अधिक पाली में होने की दशा में प्रश्न पत्र अलग–अलग होंगे। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उपरोक्त में से किसी भी संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस बाबत् अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

ख. यदि किसी आपात स्थिति अथवा अपरिहार्य कारणों से परीक्षा दिनांक/समय/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म0प्र0 उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(पांच) ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम –

Syllabus	No. of Questions	Marks
(1) G.K.+G.S., including G.K. of M.P.	30	30
(2) Maths + Reasoning	20	20

SARKARIRESULT.COM

(3) General Hindi	10	10
(4) English knowledge	20	20
(5) Computer knowledge	20	20
Total Question and Marks	100	

नोट :–

1. उपरोक्त परीक्षा 02 घंटे की होगी।
2. परीक्षा की तिथि(यों), समय व परीक्षा केन्द्र हेतु चयनित स्थानों की जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित की जावेगी।
3. **Mock Test (मॉक टेस्ट)**– अभ्यर्थियों के लिये ऑनलाइन प्रश्न–पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर Mock Test (मॉक टेस्ट) परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध है।
4. दिव्यांग अभ्यर्थियों की प्रारंभिक परीक्षा हेतु उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिये केवल एक केंद्र (जिला–जबलपुर) बनाया जा सकेगा एवं उनकी प्रारंभिक परीक्षा हेतु नियमानुसार व्यवस्था की जावेगी।

(छः) – आवश्यक सूचना :–

(1) अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र में दर्शित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा पूर्व अनिवार्य रूप से उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

(2) परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त मानी जाऐगी। विलंब से आने वाले या अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी को पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) अभ्यर्थी यदि कोई आवश्यक मेडीकल उपकरण या वस्तु का उपयोग करता है तो इसकी पूर्व अनुमति परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय से प्राप्त करनी होगी, जिसके लिये कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना होगा। अनुमति के बिना ऐसे उपकरण या वस्तु का उपयोग वर्जित रहेगा।

(सात)–: ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम :–

1. उक्त पद की प्रारंभिक परीक्षा के बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर जिनका परीक्षाफल तैयार किये जाने हेतु प्रयोग किया जाना आशयित है, उसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर परीक्षा के पश्चात् इस सूचना के साथ प्रदर्शित किया जावेगा कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति देना चाहता है, तो वह आवश्यक रूप से उक्त सूचना प्रकाशन के सात (07) दिनों के भीतर रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, म0प्र0 उच्च न्यायालय, जबलपुर के पदनाम से संबोधित, लिखित एवं हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से अपने नाम, आवेदन क्रमांक आदि के विवरण एवं श्रोत/दस्तावेज इत्यादि जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी ने आपत्ति प्रस्तुत

SARKARIRESULT.COM

की है, की स्व–हस्ताक्षरित व सत्यापित फोटो प्रतिलिपि सहित डाक के माध्यम से या उच्च न्यायालय, जबलपुर के आवक सेक्शन में जमा कर प्रस्तुत करेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जायेगा, जिसके आधार पर सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि या परीक्षा परिणाम घोषित हो जाने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उसे नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। ई0 मेल द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं करते हुए नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

2. प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जावेगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी की मेरिट में 1:3 (प्रति पद के लिये 03 अभ्यर्थी) के अनुपात में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिये, न्यूनतम अंक के अधीन, सफल घोषित किया जावेगा तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया जावेगा। परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

<u>(आठ)–: मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एवं दस्तावेजः –</u>

1. प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय शैक्षणिक व अर्हताकारी दस्तावेज मंगाये जावेगें जिसे अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित जिला एवं सत्र न्यायालय में प्रेषित करना होगा, जिसकी जानकारी पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराई जावेगी। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन फार्म के प्रिंट की प्रति को संलग्न किया जाना अति आवश्यक होगा। इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तो के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं उन्हें अपात्र किया जा सकेगा, जिसकी सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

2. आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 कलर फोटोग्राफ (जो ऑनलाईन फार्म में लगाये गये थे) के साथ एक लिफाफे में रखकर भेजे जावेंगे। उक्त लिफाफे पर अपनी श्रेणी एवं **<u>पद/ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।</u>** आवेदन पत्र का प्रारूप म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। **आवेदन पत्र परीक्षा सेल द्वारा निर्धारित की गई तिथि में आवश्यक रूप से संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदनाम से संबोधित करते हुए, व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से उक्त जिला न्यायालय में जमा करना होगा। वे अभ्यर्थी जो डाक द्वारा अपना आवेदन प्रेषित करना चाहते है वे अंतिम तिथि (जो भी निर्धारित की जावेगी) के कम से कम 07 दिवस पूर्व आवेदन भेजे, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की**

SARKARIRESULT.COM

अभ्यर्थिता संबंधित पद में स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उक्त संबंध में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और संक्षिप्ततः निरस्त कर दिया जायेगा।

3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित स्वप्रमाणित दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रेषित किया जाना अति–आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं अथवा वह अपने आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित किया जावेगा। ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने एवं चयन सूची में स्थान दिये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही अभ्यर्थी मेरिट के आधार पर चयनित क्यों न हो रहा हो।

खण्ड–''द''

(एक)– मुख्य परीक्षा :– सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंको की होगी। मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

(दो)– मुख्य परीक्षा केन्द्र– मुख्य परीक्षा जिला न्यायालयों के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जावेगी। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा पाली (Shift) के बारे में परीक्षा सेल, उच्च न्यायालय का परीक्षार्थियों की संख्या और केन्द्र की क्षमता को देखते हुए लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस बाबत् अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। यदि किन्ही कारणों से मुख्य परीक्षा दिनांक/परीक्षा केन्द्र/परीक्षा पाली (Shift) को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(तीन)–मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रमः–

Group	Post	Subject	Marks	Time
A	Stenographer Grade-2, Grade-3 & Grade-3 (For Court Manager staff)	Hindi Stenography dictation of 400 words (approx.) + Transcription/Typing	100	5+30= 35 Min.
B	Assistant Grade-3	Hindi Typing (350 words approx.) + Direct Dictation Typing (400 words approx.)	30 + 70=100	10+10= 20 Min.
C	Assistant Grade-3 (Eng. Know.) (D.C.)	English Stenography dictation of 400 words (approx.) + Transcription/Typing	100	5+30= 35 Min.

नोट :–

(1) मुख्य परीक्षा कम्प्यूटर पर आयोजित की जावेगी, इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को पृथक से कम्प्यूटर की–बोर्ड सहित प्रदान किया जावेगा। अभ्यर्थी को अपना कम्प्यूटर या की–बोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी।

(2) समस्त अभ्यर्थियों को हिन्दी टाईपिंग रेमिंगटन गेल (REMINGTON GAIL) मे ही करना है।

SARKARIRESULT.COM

(3) शीघ्रलेखक ग्रेड–2, शीघ्रलेखक ग्रेड–3, शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 400 शब्दों का हिन्दी डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसके अनुलेखन (Transcription) हेतु 30 मिनिट का समय दिया जायेगा। डिक्टेशन के अनुलेखन को कम्प्यूटर में टाईप कराया जावेगा।

(4) मूल डिक्टेशन के दौरान व पश्चात् अभ्यर्थी को आपत्ति करने का अधिकार नही होगा। मुख्य परीक्षा में डिक्टेशन नोट करने हेतु नोट–बुक पृथक से प्रदान की जावेगी। उपरोक्त नोट–बुक में डिक्टेशन Long Hand में लिखे होने पर **संपूर्ण अंक काटे जावेंगे।**

(5) सहायक ग्रेड–3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 मिनिट में लगभग 350 शब्दों का हिन्दी टाईपिंग मैटर टाईप करना होगा। तत्पश्चात् अभ्यर्थियों को हिन्दी डायरेक्ट डिक्टेशन दिया जावेगा, जो कि लगभग 400 शब्दो का होगा, जिसे अभ्यर्थियों को सुनकर कम्प्यूटर में सीधे टाईप करना।

(6) सहायक ग्रेड–3 (English Knowing) की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 400 शब्दों का अँग्रेजी डिक्टेशन दिया जायेगा, जिसके अनुलेखन (Transcription) एवं कम्प्यूटर में टाईपिंग हेतु 30 मिनिट का समय दिया जायेगा।

(7) दिव्यांग अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु नियमानुसार उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिये केवल एक केंद्र यथासंभव बनाया जा सकेगा एवं उनकी मुख्य परीक्षा हेतु नियमानुसार व्यवस्था की जावेगी।

नोट– अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उक्त किसी भी पद की मुख्य परीक्षा में हिन्दी/अंग्रेजी डिक्टेशन व हिन्दी डायरेक्ट डिक्टेशन दौरान शोर मचाने वाले अथवा अनुलेखन/टाईपिंग में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करने वाले अथवा अनावश्यक वाद/विवाद करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष से बाहर कर दिया जावेगा तथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी साथ ही भविष्य में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में उन्हें सम्मिलित होने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा।

(चार)–मुख्य परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन

1. उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के संबंध में मूल्यांकनकर्ता/वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता के द्वारा दिये गये अंक ही अंतिम होंगे और उसके विरूद्ध कोई भी अभ्यावेदन विचार में लाये बिना नस्तीबद्ध कर दिये जावेंगे।

2. शीघ्रलेखक ग्रेड–2, शीघ्रलेखक ग्रेड–3, शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ) एवं सहायक ग्रेड–3 (English Knowing) की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यॉंकन में प्रत्येक त्रुटि (जैसे गलत शब्द, वर्तनी/स्पैलिंग त्रुटि, शब्द छूट जाने एवं विराम चिन्हों की त्रुटि आदि) पर 1/2 (0.50) अंक काटा जावेगा। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के समय यदि किसी अभ्यर्थी की 120 से अधिक त्रुटियाँ पाई जाती है, तो आगे उसकी उत्तरपुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करते हुए शून्य (00) अंक प्रदान किये जावेंगे।

SARKARIRESULT.COM